

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

ਪੀ.ਐਸ.ਬੀ. (ਮਾਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Telefax : 25781639, 15728919, Email : complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ.ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵੰ ਲੇਖਾ ਪਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ" ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਨ੍ਦਰ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲਲੀ-110008
H.O. Account & Audit Department
"SHARES CELL" Bank House, 1st Floor
21, Rajendra Place, New Delhi-110008

ਸੰਦਰਭ/Ref. No.

ਦਿਨਾਂਕ/Dated:

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2018-19

February 19, 2019

To,

Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, 25 th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. SCRIP ID : PSB SCRIP CODE : 533295	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. SYMBOL: PSB SERIES: EQ
--	--

Dear Sir,

Reg: Publication of Notice for Extraordinary General Meeting to be held on 15.03.2019

This is in continuation to our letter dated 07/02/2019 informing stock exchanges about Extraordinary General meeting of the shareholders of the Bank scheduled to be held on Friday, 15th March 2019 at 10.30 AM at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Institutional Area, Plot No.3, Sector 3, Rohini, Delhi 110085.

We are forwarding a copy of notice of Extraordinary General Meeting published in Business standard (English newspaper and Hindi newspaper) on 19.02.2019.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

[Ajit Singh Ahuja]
Company Secretary



पी.एस.बी.

१९ मी वार्षिकता नी वी इवटि पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 www.psbindia.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सेक्टर 3, रोहिणी, दिल्ली-110085 में शुक्रवार, 15 मार्च, 2019 को प्रातः 10.30 बजे निम्न कारोबार करने हेतु आयोजित होगी:

मद संख्या 1

बैंक के पूर्ण कालीन निदेशकों और कार्मिकों को ई.एस.पी.एस. आधार पर इक्विटी शेयर जारी करना (कार्मिक शेयर क्रय योजना)

कार्मिकों को प्रत्येक अंकित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपए) के 5,00,00,000 (पाच करोड़) नए शेयर सृजन, ग्रांट, प्रस्तावित, निर्गम और आर्बिट कर, बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप, सभी प्रायोजनों तथा सभी प्रकार से जिसमें लामाश का भुगतान सम्मिलित है, कार्मिक शेयर क्रय योजना के अंतर्गत (इसके बाद "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." संदर्भित होगी) एक या अधिक किस्तों में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसे नियमों एवं शर्तों जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार और विचार करने हेतु यदि वह उचित समझती है, संशोधन के बगैर अथवा संशोधन(ओं) के साथ निम्न को एक विशेष निर्णय(ओं) के साथ पास करे

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विवेक प्रावधान) योजना 1980 ("योजना") तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2008 ("विनियमन") के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 ("अधिनियम") समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारत सरकार (भा.स.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों जिसमें बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, का यदि कोई अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति हो और जहाँ भी लागू हो तथा/अथवा इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, स्वीकृति की आवश्यकता हो और उक्त के अतिरिक्त ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों और संशोधनों के अधीन और जिन पर बैंक के निदेशक मण्डल की सहमति हो सकती है एवं सभी विनियमन, 2014 अध्यायित (शेयर आधारित कर्मचारी लाम) के प्रावधानों, अद्यतन, संशोधित करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी और अन्य सभी प्रासंगिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाएं/परिपत्रों यदि कोई हो तो, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा समय-समय पर लागू अन्य सभी नियमों के अधीन सेबी के प्रावधानों (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अनिवार्य) अधिनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर) को अद्यतन संशोधित करते हुए, के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों तथा एफएसई लि (बीएफआई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि (एनएसई लि) के साथ बैंक ने एकरूप सूचीबद्ध समझौता किया है। किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर प्रयोज्य अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति को मंजूरी देने के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या लागू की गई कोई भी शर्त और परिवर्तन के अंतर्गत तथा जिसको बैंक के निदेशक मण्डल के द्वारा सहमति दी गई और स्वीकार किया गया हो, बैंक के शेयरधारकों की सहमति तथा एतद्द्वारा बैंक के बोर्ड के निदेशक जिसे इसके बाद इस संकल्प में "बोर्ड" कहा गया है जिसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई हो व गठित की जानी हो) को सहमति प्रदान की जाती है कि एक या अधिक श्रृंखला में जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार और विचार करने हेतु यदि वह उचित समझती है, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसे नियमों एवं शर्तों पर, निर्णय लिया जा सकता है कि बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और कार्यकारी निदेशक(ओं) (कार्मिकों) को प्रत्येक अंकित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपए) के 5,00,00,000 (पांच करोड़) नए शेयर सृजन कर, ग्रांट, प्रस्तावित, निर्गम और आर्बिट करों जो बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप, सभी प्रायोजनों तथा सभी प्रकार से जिसमें लामाश का भुगतान सम्मिलित है, कार्मिक शेयर क्रय योजना के अंतर्गत (इसके बाद "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." संदर्भित होगी), जो इन शर्तों के अधीन होंगे कि भारत सरकार की शेयरधारिता 51.00% से कम नहीं हो।

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि बैंक सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाम) अधिनियम, 2014 के विनियमन 15 या कोई सांविधिक संशोधन(ओं), परिशोधन(ओं), अथवा उनको पुनर्लागू करने में निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करेगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." के अंतर्गत जारी और आर्बिट इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, पर स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समरूप सूचीबद्धता समझौते के नियमों एवं शर्तों तथा अन्य लागू दिशा-निर्देशों, नियमों तथा अधिनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाए।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." इक्विटी शेयरों के निर्गम, के संबंध में अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय माने जाने वाले सभी कृत्यों, कर्मों, मामलों और बातों के करने तथा समय-समय पर "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, दुविधा या संदेह का समाधान करने तथा अन्य सभी आवश्यक, उचित और समीचीन कृत्य, कर्म, मामलों एवं बातों को करने एवं अपने पूर्ण विवेक के अनुसार "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." पर आवश्यक, उचित और आवश्यक समझे जाने वाले सभी दस्तावेजों व लेखों को अंतिम रूप देने तथा "पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस." को निष्पादित करने हेतु अधिकृत होगा और इसको एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता है, (पी.एस.बी.-ई.एस.पी.एस.) के लिए उनको आगे शेयरधारकों की सहमति, या अनुमोदन अथवा अन्यथा की आवश्यकता नहीं होगी और इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा उसको इस उद्देश्य एवं आशय से अधिकृत किया गया है तथा शेयरधारकों द्वारा स्पष्टतया: अनुमोदित किया गया माना जाएगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल (ओं) को एतद् द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) या कार्यकारी निदेशक(ओं) अथवा अन्य अधिकारी(अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत होगा जो सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाम) अधिनियमों, 2014 और अन्य लागू कानूनों, नियमों तथा अधिनियमों के साथ उक्त प्रस्तावों को लागू करें।"

मद संख्या 2

अहर्ता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट द्वारा इक्विटी शेयर जारी करना

प्रत्येक अंकित मूल्य रु. 10/- (केवल दस रुपए) के 500 करोड़ रुपए (पांच सौ करोड़ रुपए) के नए शेयर सृजन, ग्रांट, प्रस्तावित, निर्गम और आर्बिट करने के संबंध में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना जो बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप, सभी प्रायोजनों तथा सभी प्रकार से जिसमें लामाश का भुगतान सम्मिलित है, अहर्ता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से एक या अधिक श्रृंखला में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, ऐसे नियमों एवं शर्तों जैसा कि बोर्ड/समिति द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार और विचार करने हेतु यदि वह उचित समझती है, संशोधन के बगैर अथवा संशोधन(ओं) के साथ निम्न को एक विशेष निर्णय(ओं) के रूप में रूप में:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980) (इसके बाद "अधिनियम संदर्भित किया जाएगा") बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 ("बैंकिंग अधिनियम") संदर्भित किया जाएगा) पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठक) अधिनियम 2008 ("अधिनियम") संदर्भित किया जाएगा), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2009 ("सेबी") (आईसीडीआर विनियमन) विनियमन भारत सरकार जिसे लागू नियमों, विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड(सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बशर्त विधि, नियम और विनियम के अधीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुनः लागू अधिनियम), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में सूचीयन करार जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 अन्य संबंधित प्राधिकरणों से अनुमोदन, सहमति, अनुमति या स्वीकृति प्रदान करते समय उनके द्वारा शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदन, सहमति, अनुमति या स्वीकृति के लिए लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत होना (इसके बाद इस बोर्ड को कक्षा प्रस्ताव

बिज़नेस हेड्स
19.02.2019



इस संक में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल हो तथा समय-समय पर लागू अन्य सभी नियमों के अर्थात् सभी को प्राधान्यों (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्य) अधिनियम, 2015 को अद्यतन संशोधित करते हुए, के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों यथा बीएसई लि, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ बैंक ने एकरूप सूचीबद्ध सम्झौता किया है। किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर प्रयोज्य अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति के अर्थात् तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमति और स्वीकृति को मंजूरी देने के दौरान इन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित या लागू, को गई कोई भी शर्त और परिधान के अनुसार तथा जिसको बैंक के निदेशक मण्डल ने द्वारा सहमति दी गई और स्वीकार किया गया हो, बैंक के शेषधारकों की सहमति तथा एतद द्वारा बैंक के बोर्ड के निदेशक मण्डल (जिसे इसके बाद इस संकल्प में 'बोर्ड' कहा गया है जिसके संकल्प में यह माना जाएगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसके सदस्यों का चपयोंग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गई हो) गठित की जानी हो) को सहमति प्रदान की जाती है। बैंक की सहमति है और एतद द्वारा बोर्ड को वी जाती है कि वह आईसीडीआर भी नियामकी के अन्वय VMI के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अर्थात् प्राप्त संस्थागत स्थानन के माध्य से बैंक के इक्विटी शेयरों का शुजन और, निर्णय, आबंटन करे। भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कोई भी अन्य माध्यम जैसाकि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनियम के अनुसार अपने वित्ताधिकार से क 500 करोड़ (पांच सौ करोड़ मात्र) से अनधिकतम शरी जो अनुमति की है जो ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे दंग से तथा ऐसी शर्तों एवं शर्तों पर जिसे बोर्ड अपने स्वयंसेवाधिकार से निर्धारित करे जिसमें यह वित्ताधिकार भी शामिल है, निदेशकों की उन श्रेणी का निर्धारण जिन्हें और निर्णय एवं आबंटन किया जाए। और के समया बाजार की स्थितियों और अन्य संबंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए जहाँ कहीं भी आवश्यक हो वहाँ अपनी प्रबंधक(को) एवं / या समया बाजार(री) या अन्य सलाहकारों से परामर्श करके बोर्ड अपने अनन्य वित्ताधिकार से उचित अल्पतम उपयुक्त निर्णय ले सकेगा।

आगे संकल्प किया गया कि जारी किए गए इक्विटी शेयर, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयर के बराबर के होंगे जिनमें लागू शक्ति है- आने संकल्प किया गया कि आह्वानप्राप्त संस्थागत स्वतन के मामले में आईसीडीआर बिनियामावली के खंड VIII के अनुसार -

A) आईसीडीआर बिनियामावली के खंड VIII के तहत प्रतियुक्तियों का आबंटन केवल आईआप्रात संस्थागत ऋणों को ही किया जाएगा और ऐसी प्रतियुक्तियों पूर्व-प्रदत्त होने चाहिए तथा ऐसी प्रतियुक्तियों का आबंटन संकल्प कि तिथि से 12 महीनों के अंदर हो जाना चाहिए।

B) आई सी.डी.आर बिनियामवली के विनियमन 85(i) के प्रावधानों के अनुसार बैंक को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह न्यूनतम कीमत से अधिकतम पाँच प्रतिशत कि घुट पर शेयर और कर सकता है जैसा कि बिनियामवली में निर्धारित किया गया है।

C) प्रतियुक्तियों की न्यूनतम कीमत के निर्धारण के लिए संबंधित तिथि आई.सी.डी.आर बिनियामवली के अनुसार माना जाएगा। 'आगे संकल्प किया गया है कि एक संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एतद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह झपाट को अंतिम रूप प्रदान करने, उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करें जो इसमें शामिल हैं परंतु यहाँ तक सीमित नहीं है, साथ ही, अंतिम और प्रलेखों जो निर्णय के फार्म और शर्तों के तहत, इसमें निवेशकों का यह वर शामिल हैं जिन्हें इक्विटी शेयर निर्मित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह वर शामिल है जिन्हें इक्विटी शेयर निर्मित होंगे, आबंटित किए जाएंगे, जैसा कि वह अपने वित्ताधिकार से उचित समझे, अपने वित्ताधिकार से निर्णय और आबंटन करे और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संकल्प में सदस्यों की अनुमति है 'आगे संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु लीड प्रबंधको, विभि सलाहकारों, दामोदरों, बैंकों, सलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/ नियुक्त करें, जो ऐसे इक्विटी शेयरों के और के कार्य में जुड़े हों, सबद ही और उन्हें कमीशन, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक है और ऐसी एजेंटियों के साथ करार, श्रापन, प्रलेखन आदि की व्यवस्था करे, निष्चान कर्ण और निर्गमित इक्विटी शेयरों की उन स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग कर्ण जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

आगे संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यापुक्त करे या निदेशकों की समिति/ प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / कार्यकारी निदेशक / कर्मनी संचय / बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपे जो एक संचिता को उभावी बना सके और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्य, कर्तव्यों, विषयों, मामलों को निष्पादित करे और कोई भी जरुरी परिवर्तन(नौ) या संशोधन(नौ) को करें जिसे उचित समझता है और ऐसा निदेशन दे जो इक्विटी शेयरों के निर्णय और आबंटन से उठने वाले प्रस्तावों और कठिनाईयों का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक है। साथ ही, ये शामिल हैं पर सीमित नहीं हैं:

- झापट / अंतिम और प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्तिों को फाइल करना।
- निर्णय मूल्य, आबंटन किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, आवंटन का आधार और इक्विटी शेयर के आवंटन का अनुमोदन।
- इक्विटी शेयर के निर्णय के संकल्प में जरुरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वाञ्छनीय संचितायों, करारों और अन्य प्रलेखों, विलेखों और विलेखों का निष्चान।
- ऐसे बैंक खाते खोलना जो और के लिए आवश्यक हों।
- ऐसे सभी कार्य, कर्तव्य, विषय और मामलों को निष्पादित करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निपटान करना और अपने अनन्य वित्ताधिकार से संयवहार के लिए आवश्यक या उपयुक्त शुक का मुआला करना।
- समुचित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जानेवाले सभी आवश्यक आवेदनों को तैयार करना और इस संकल्प में आवश्यक विनियामक कार्रवाइयें करना।
- उस स्टॉक एक्सचेंज(नौ) में बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.02.2019

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ई-वोटिंग

दिनांक 12.02.2019, दिन मंगलवार को प्रातः 10:00 बजे मतदान अवधि आरम्भ होगी और दिनांक 14.02.2019, दिन बुधवार को सायंकाल 5:00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक वित्त को पास अंतिम तिथि 08.02.2019 को शेयर मौलिक रूप में अथवा वार्षिक रूप में हैं, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी और दिनांक 14 मार्च, 2019 को सायंकाल 5:00 बजे के बाद रिजल्ट ई-मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य द्वारा निर्णय पर एक दफा मतदान कर दिया जाता है, सदस्य को इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के समानुपात में सदस्यों के अंतिम तिथि 08 मार्च, 2019 को उनके द्वारा धारित शेयरों पर मतदान अधिकार होंगे।

नोटिस के प्रेषित करने के बाद, कोई भी व्यक्ति जो बैंक के शेयर अधिकारिण करता है और बैंक का सदस्य बन जाता है तथा अंतिम तिथि अर्थात् 08 मार्च, 2019 को शेयरधारिता के संकल्प में पंक्तिदार एवं बैंक के शेयर ट्रान्सफर एजेंट, मैसर्स लिंक इन्टरनेट इंडिया (प्रा) लि. को लिख सकता है या ई-मतदान में सहभागिता करने के लिए help@esek.evoting@disindia.com पर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड लेने हेतु ई-मेल कर सकता है।

असाधारण सामान्य बैठक में मतदान पत्र के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में सहभागिता करने वाले जिन सदस्यों ने ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान के अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।

जिन सदस्यों ने ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान किया है, असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकते हैं लेकिन अपना वोट पुनः खोलने हेतु पात्र नहीं होंगे।

अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद वित्ताधिकारों को समेकित रिपोर्ट के साथ परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.esekindia.com और सी.डी.एस.एन. की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। परिणामों को उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी तुरंत अंतिम किया जाएगा जहाँ पर बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं।

यदि ई-वोटिंग के संकल्प में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो बार-बार पूरे जाने वाले प्रश्न (FAQ) पर जाएं तथा सहकार अनुभव के अंतर्गत www.evotingindia.com पर ई-वोटिंग हेतुअल उपलब्ध है या helpdesk.evoting@disindia.com को ई-मेल करें या श्री वेबेस्टीस कूरतदो, डिटी प्रबंधक, CDSL, 25वां माला, विंग ए मारटिन प्युअल संपाल है या helpdesk.evoting@disindia.com को ई-मेल करें।

जोभी मार्ग, लोडर पैकेज (ई) मुम्बई-400013, दूरभाष नं. 1800225533 या श्री भारत मुक्क, रिसीशिएट उमाय्यक, लिंक इन्टरनेट प्रा. लि. इंडिया लिमिटेड, 44, कन्सुल्टी बिल्डिंग इंडिया तल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-28 दूरभाष नं. 011-41410362, 83, 84 फेजक- +91 11 41410361 या delhi@linktime.co.in को ई-मेल करें।

19.02.2019





पं. प्र. बं.

पंजाब सिंद बँक Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21, Rajendra Place, New Delhi-110 008. www.psbindia.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Friday, the 15th March, 2019 at 10.30 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085, to transact the following business:

Item No. 1

Issue of Equity Shares to Employees and Whole-Time Directors of the Bank on ESPS basis (Employee Share Purchase Scheme)

To create, grant, offer, issue and allot up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of Rs.10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PSB-ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as Special Resolution (s):

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 ("The Act"), The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 ("The Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange (s) in which Bank's equity shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI (LODR)) as amended upto date, Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval (s), permission (s) and sanction (s), at any stage, of any authority and subject to any condition (s) and modification (s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission (s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director (s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 5,00,00,000 (Five crore) new equity shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Share Purchase Scheme (hereinafter referred to as "PSB-ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not come below 51.00%."

"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification (s), amendment (s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the equity shares issued and allotted under the "PSB-ESPS", on the stock exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the uniform listing agreements entered into with the stock exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "PSB-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board and to make any modification (s), change (s), variation (s), alteration (s) or revision (s) in the terms and conditions of the "PSB-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "PSB-ESPS" in such manner as the Board may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "PSB-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "PSB-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee (s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director (s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

Item No. 2

Issue of Equity Shares by way of Qualified Institutional Placement

To seek approval of shareholders to create, offer, issue and allot Fresh Equity Shares of face Value of Rs10/- (Rupees Ten only) each up to an amount of Rs.500 crore by way of Qualified Institutional Placement, ranking *pari passu* with the existing equity shares of the Bank for all purpose and in all respects, including payment of dividend, in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as Special Resolution (s):

"RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 (herein referred to as "the Act"), Banking Regulation Act, 1949 (herein referred to as "Banking Act"), Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (herein referred to as "Regulations"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (herein referred to as "SEBI (ICDR) Regulations") and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India ("GOI")-Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and / or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), Uniform Listing Agreement entered into by the Bank with stock exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, any

Business Standard

19-02-2019



Business Standard

19-02-2019

approval, consent permissions or sanctions of other concerned authorities and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (herein referred to as "the Board" which term shall include any committee constituted by the Board), consent of the shareholders be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not as may be approved by GOI/RBI and as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations for an aggregate amount not exceeding Rs.500 crore (Rupees five Hundred Crore only) at such time or times, at such price including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of investors to whom the offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead managers(s) and / or underwriter(s) and / or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity shares issued shall rank par-passu with the existing shares of the Bank including dividend."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of ICDR Regulations:

a. the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution.

b. The Bank, pursuant to Regulation 85(1) of ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations

c. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations"

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage / appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc. with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a committee of Directors to delegate all or any of its powers to a Committee of Directors / Managing Director & Chief Executive Officer / Executive Director(s) / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolution and is authorized to take such steps and to do all such acts, deeds, matters, things and accept any alterations(s) or amendments(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- i. Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- ii. Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotment of Equity Shares;
- iii. Arranging, the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- iv. Opening such Bank Accounts as may be required for the offering;
- v. To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
- vi. To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- vii. Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchanges(s) where the equity shares of the Bank are listed.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK
(S Harisankar)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 18.02.2019

E-VOTING

- The remote e-voting period begins on Tuesday, 12th March, 2019 at 10.00 a.m. and ends on Thursday, 14th March 2019, at 5 p.m. During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 08th March 2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM, 14th March 2019. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of 08th March, 2019.
- Any person who acquires shares of the Bank and become Member of the Bank after dispatch of the Notice and holding shares as on cut-off date, i.e. 08th March, 2019 may write to Registrar & Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India (P) Ltd., or send an email at helpdesk.evoting@cdslindia.com to obtain login ID and password for participating in e-voting.
- The facility for voting through ballot paper shall be made available at the EGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their voting rights at the meeting through ballot paper.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The results declared, alongwith the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.psbindia.com and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the equity shares of the Bank are listed.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 25th floor, A Wing, Marathon Futorex, Mafattal Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parale (E), Mumbai-400013, Phone-1800225533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Jahangpuri, New Delhi-110058 Phone: +91 11 4141 0592, 93, 94 Fax: +91 11 4141 0591 or write an email to delhi@linkintime.co.in.